



## उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिग रोड, देहरादून

दूरभाष न०- 0135-2662021, फ़ैक्स न०- 0135-2662180

ईमेल : [secy-uic@gov.in](mailto:secy-uic@gov.in) वैब: <https://uic.uk.in>

ई-फाइल संख्या :- UIC-Estb/4/2026-Soochna Aayog

दिनांक 04 जून, 2026

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष,

उत्तराखण्ड

विषय :- सहायक लेखाधिकारी (लेवल 10) के एक पद पर प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के आधार पर कार्य करने हेतु इच्छुक कार्मिकों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अवगत कराना है कि आयोग में सहायक लेखाधिकारी (लेवल 10) का एक पद माह जुलाई, 2026 को रिक्त हो रहा है। जोकि प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के आधार पर भरा जाना है। इस हेतु दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी है। आयोग के द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति तथा चयन से संबंधित अन्य शर्तों की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विभाग में कार्यरत सहायक लेखाधिकारी/लेखाकार को इस संबंध में अवगत कराने का कष्ट करें। विभाग में कार्यरत सहायक लेखाधिकारी/लेखाकार यदि आयोग में प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के आधार पर कार्य करने हेतु इच्छुक हैं, तो संबंधित का आवेदन पत्र मय अनापत्ति के आयोग को पंजीकृत डाक से अथवा आयोग की ई-मेल पर दिनांक 06.07.2026 तक प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय

Digitally signed by

RAZA ABBAS

Date: 04-06-2026

(रज़ा अब्बास)

सचिव

दिनांक 04 जून, 2026

ई-फाइल संख्या :- UIC-Estb/4/2026-Soochna Aayog

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित -

1. निजी सचिव मा0 मुख्य सूचना आयुक्त को मा0 मुख्य सूचना आयुक्त महोदय के अवलोकनार्थ।

(रज़ा अब्बास)

सचिव



## उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून

ईमेल : [secy-uic@gov.in](mailto:secy-uic@gov.in) वेब: <https://uk.uic.in> दूरभाष नं- 0135-2662021, फॅक्स नं- 0135-2662180

### प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण हेतु विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड सूचना आयोग में माह जुलाई 2026 को रिक्त होने वाले सहायक लेखाधिकारी (लेवल 10) के एक पद पर प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के आधार पर कार्य करने के लिए इच्छुक उत्तराखण्ड राज्य सेवा के सहायक लेखाधिकारियों/लेखाकारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। प्रतिनियुक्ति/सेवास्थानान्तरण अवधि एक वर्ष के लिए होगी जिसे एक-एक वर्ष के लिए परन्तु किसी भी दशा में 05 से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा। इच्छुक कार्मिक राज्य सेवा में मौलिक रूप से सहायक लेखाधिकारी के पद कार्यरत हों अथवा मौलिक रूप से लेखाकार के रूप में कार्यरत हों जिन्हें लेखा संबंधी कार्यों का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो, आवेदन कर सकते हैं। कार्मिक के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित/विचाराधीन नहीं होना चाहिए तथा विगत पांच वर्ष की चरित्र पंजिका उत्तम से कम न हो। ऐसे इच्छुक कार्मिक अपना आवेदन पत्र नियुक्ति प्राधिकारी के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ दिनांक 06.07.2026 तक सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून के पते पर पंजीकृत डाक के माध्यम से अथवा आयोग की ई-मेल [secy-uic@gov.in](mailto:secy-uic@gov.in) पर प्रेषित कर सकते हैं। कार्मिक का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा। आवेदन का प्रारूप आयोग की वेबसाइट <https://uk.uic.in> से डाउनलोड अथवा आयोग से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त किया जा सकता है। इस विज्ञप्ति से संबंधित किसी भी प्रकार की अग्रतर जानकारी या किसी प्रकार का संशोधन आयोग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग

Digitally signed by  
RAZA ABBAS  
Date: 04-06-2026  
11:31:57

उत्तराखण्ड सूचना आयोग में सहायक लेखाधिकारी  
के पद पर प्रतिनियुक्ति/सेवास्थानान्तरण के रूप में  
चयन हेतु प्रक्रिया एवं अन्य सेवा शर्तें

1. उत्तराखण्ड के ऐसे राजकीय कर्मचारियों के आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे जोकि मौलिक रूप से सहायक लेखाधिकारी के पद पर कार्यरत हों अथवा मौलिक रूप से लेखाकार के रूप में कार्यरत हो जिन्हें लेखा संबंधी कार्यों का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो।
2. प्रतिनियुक्ति/सेवास्थानान्तरण अवधि एक वर्ष के लिए होगी जिसे कार्मिक के कार्य और उत्तम व्यवहार को दृष्टिगत रखते हुए अधिकतम 5 वर्ष के लिए बढ़ाए जाने पर आयोग के द्वारा विचार किया जा सकता है।
3. कार्मिक का कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक न पाये जाने पर कार्मिकों को किसी भी समय उनके मूल विभाग वापस करने का पूर्ण अधिकार आयोग को होगा।
4. आवेदन पत्र नियुक्ति प्राधिकारी के माध्यम से सचिव उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून को दिनांक 06.07.2026 तक प्रेषित किया जाना होगा। दिनांक 06.07.2026 के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
5. आवेदन पत्र के साथ अनापत्ति पत्र प्रेषित किये जाने पर ही आवेदन पत्र पर विचार किया जायेगा।
6. आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होने पर अनुभव के आधार पर आयोग स्तर से आवेदन पत्रों की छटनी कर आयोग द्वारा साक्षात्कार हेतु उपयुक्त पाये गये आवेदकों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा।
7. चयनित कार्मिक को सेवा स्थानान्तरण की सेवा शर्तों के अनुसार वेतन, भत्तें आदि अनुमन्य होंगे। कार्मिक की अन्य सेवा-शर्तें वही होंगी जो प्रतिनियुक्ति/सेवास्थानान्तरण हेतु राज्य के कार्मिकों पर समय-समय पर लागू होंगी।
8. सहायक लेखाधिकारी के पद पर नियमित नियुक्ति होने तक परन्तु किसी भी दशा में पांच वर्ष से अनाधिक्य अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति/सेवास्थानान्तरण के आधार पर कार्मिकों को आयोग में नहीं रखा जाएगा।

Digitally signed by  
RAZA ABBAS  
Date: 04-06-2026  
11:31:05

उत्तराखण्ड सूचना आयोग में सहायक लेखाधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति /  
सेवास्थानान्तरण के रूप में कार्य करने हेतु इच्छुक कार्मिकों हेतु

आवेदन पत्र

1. कार्मिक का नाम .....
2. पदनाम .....
3. जन्म तिथि .....
4. विभाग का नाम जहाँ कार्यरत है .....
5. दूरभाष/मो० नम्बर/ ईमेल .....
6. लेखा के कार्य में अनुभव - .....

1	सहायक लेखाधिकारी के रूप में कार्य अवधि	
2	विभाग का नाम जहाँ सहायक लेखाधिकारी के रूप में कार्य किया गया	
3	लेखाकार के रूप में कार्य अनुभव तथा विभाग/कार्यालय का नाम जहाँ कार्य किया गया है।	
4	अन्य	

दिनांक .....

३

कार्मिक के हस्ताक्षर .....

कार्मिक का नाम .....